



PLATINUM VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL

C-Block, Surya Nagar, Ghaziabad, U.P.

C I R C U L A R - (GRADE X & XII)

Circular No. PVIS/CIR/2025/08

Date : 09.09.2025

MANDATORY ATTENDANCE REQUIREMENT FOR BOARD EXAMINATION ELIGIBILITY

Dear Parents,

Greetings!

This is to reiterate the guidelines issued by the Central Board of Secondary Education (CBSE) regarding the minimum attendance requirement for students of Classes X and XII to be eligible for the Board Examinations.

As per CBSE Examination Bye-Laws (Rules 13 & 14):

A minimum of 75% attendance is mandatory to appear in the Board Examinations.

A maximum 25% relaxation may be granted only in exceptional cases such as medical emergencies, participation in national/international sports events, or other serious reasons, strictly on submission of valid documentary proof.

Key Points for Parents/Students:

1. Regular Attendance is Compulsory:

Attendance will be calculated up to 1st January of the academic session.

2. Leave Procedures:

- i) For medical leave, submit a written application with valid medical certificates immediately after availing the leave.
- ii) For other reasons, submit a written leave request in advance with valid justification.
- iii) Leave without prior intimation or documentation will be treated as unauthorized absence.

3. Consequences of Short Attendance:

- i) Students with less than 75% attendance (without approved condonation) will not be allowed to appear in the Board Examinations.
- ii) CBSE may conduct surprise inspections and may disqualify students with irregular attendance records.

4. Parental Responsibility:

- i) Monitor your ward's attendance regularly.
- ii) Respond promptly to school communication regarding attendance shortages.
We request all parents to ensure regular attendance of their wards and to strictly follow the leave application procedures to avoid any disruption in Board Examination eligibility.

Let us work together to ensure that no student misses this crucial requirement due to avoidable absence.

Regards

Jyoti Saxena
Principal



बोर्ड परीक्षा पात्रता के लिए अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकता

प्रिय अभिभावकों

सादर नमस्कार !

यह सूचना कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में पात्रता के लिए न्यूनतम उपस्थिति संबंधी दिशा-निर्देशों को पुनः स्मरण कराने हेतु जारी की जा रही है, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

CBSE परीक्षा उपविधि (नियम 13 एवं 14) के अनुसार :

बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जैसे – चिकित्सीय आपात स्थिति, राष्ट्रीय आपात स्थिति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या अन्य गंभीर कारण, वह भी मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही।

अभिभावकों/विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. **नियमित उपस्थिति अनिवार्य है।**

उपस्थिति की गणना 1 जनवरी तक की जाएगी।

2. **छुट्टी की प्रक्रिया :**

- (i) यदि छुट्टी किन्हीं चिकित्सीय कारणों से ली गई है, तो इस स्थिति में चिकित्सीय प्रमाण पत्र व आवेदन जमा करवाना अनिवार्य है।
- (ii) अन्य कारणों हेतु, पूर्व में ही उचित कारण सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (iii) बिना किसी सूचना या दस्तावेज के यदि छुट्टी ली जाती है, तो वह छुट्टी अनुपस्थिति मानी जाएगी।

3. **कम उपस्थिति के परिणाम :**

- (i) जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी और जिनकी अनुपस्थिति की स्वीकृति नहीं होगी उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) CBSE आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है और अनियमित उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को अयोग्य घोषित कर सकता है।

4. **अभिभावकों की जिम्मेदारी :**

- (i) अपने बच्चे की उपस्थिति नियमित रूप से जांचते रहें।
- (ii) उपस्थिति की कमी संबंधी विद्यालय की सूचना पर शीघ्र प्रतिक्रिया दें।
- (iii) हम सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा अवकाश आवेदन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें ताकि बोर्ड परीक्षा पात्रता में किसी प्रकार की बाधा न आए।

आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यार्थी अनावश्यक अनुपस्थिति के कारण इस महत्वपूर्ण आवश्यकता से वंचित न रहे।

सादर,

ज्योति सक्सेना
प्रधानाचार्या